

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली
फौ.वि.मु. 280/2021 एवं फौ.वि.अ. 1436/2021
फौ.वि.मु. 281/2021 एवं फौ.वि.अ. 1440/2021
फौ.वि.मु. 282/2021 एवं फौ.वि.अ. 1442/2021 और
फौ.वि.मु. 283/2021 एवं फौ.वि.अ. 1444/2021

सुरक्षित: 27.10.2021

निर्णय की तिथि :- 21.12.2021

निम्न मामले में :-

संजीव कुमार अग्रवाल

....याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. अभिषेक अत्रे, अधिवक्ता

बनाम

आईएफसीआई फैक्टर्स
लिमिटेड एवं अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री शारिक हुसैन, प्रत्यर्थी सं. 1 के
अधिवक्ता

संजीव कुमार अग्रवाल

....याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. अभिषेक अत्रे, अधिवक्ता

बनाम

आईएफसीआई फैक्टर्स
लिमिटेड एवं अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री शारिक हुसैन, प्रत्यर्थी सं. 1 के
अधिवक्ता

संजीव कुमार अग्रवाल

....याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. अभिषेक अत्रे, अधिवक्ता

बनाम

आईएफसीआई फैक्टर्स
लिमिटेड एवं अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री शारिक हुसैन, प्रत्यर्था सं. 1 के
अधिवक्ता

संजीव कुमार अग्रवाल

....याचिकाकर्ता

द्वारा: डॉ. अभिषेक अत्रे, अधिवक्ता

बनाम

आईएफसीआई फैक्टर्स
लिमिटेड एवं अन्य

....प्रत्यर्थागण

द्वारा: श्री शारिक हुसैन, प्रत्यर्था सं. 1 के
अधिवक्ता

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी

निर्णय

न्या. मनोज कुमार ओहरी

1. याचिकाकर्ता की ओर से दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिकाएं फाज़िल महानगर दंडाधिकारी-03 (प.लि. अधिनियम), दक्षिण-पूर्व जिला, साकेत, दिल्ली द्वारा दि.मु. सं. 635667/2016 और 635666/2016 में दिनांक 20.01.2017 को पारित समन आदेशों, दि.मु. सं. 1109/ 2016 में दिनांक 12.04.2016 को पारित आदेश एवं दि.मु. सं. 4429/2015 में दिनांक 02.02.2016 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।
2. उपरोक्त याचिकाएं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (तदपश्चात प.लि. अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 138 सह-पठित धारा 141 के तहत दायर विभिन्न शिकायतों से उत्पन्न होती हैं और इनमें समान पक्षगण शामिल हैं। तदनुसार, याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए लिया जाता है और एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाया जाएगा।
3. याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त शिकायत मामलों में आक्षेपित आदेशों द्वारा याचिकाकर्ता को मस्तिष्क के प्रयोग किए बिना ही फाज़िल दंडाधिकारी द्वारा बुलाया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि आक्षेपित आदेशों को पारित करते समय, फाज़िल महानगर दंडाधिकारी इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि प्रत्यर्थी सं. 2/कंपनी (इसके बाद 'अभियुक्त कंपनी' के रूप में संदर्भित) की ओर से 30.03.2014 से 31.01.2016 तक जारी किए गए चारों प्रश्नगत चेक प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे क्योंकि वही एकमात्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और प्रबंध निदेशक थे।

4. यह आगे निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत चेक जारी करने से पहले याचिकाकर्ता 28.02.2014 को अभियुक्त कंपनी के निदेशक के पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। निवेदन के समर्थन में, याचिकाकर्ता के फाज़िल अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के इस्तीफे पत्र, दिनांक 28.02.2014, फॉर्म डीआईआर-12 की एक प्रति और कंपनी रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर उपलब्ध कंपनी मास्टर डेटा को अभिलेख पर रखा है।

5. यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता की बताई गई एकमात्र विशिष्ट भूमिका यह है कि पहले के समय में उसने शिकायतकर्ता कंपनी के पक्ष में 17.05.2011 और 18.06.2013 को व्यक्तिगत प्रत्याभूति विलेख निष्पादित किया था। तथापि, 28.02.2014 को अभियुक्त कंपनी से इस्तीफा देने के बाद, उसकी कोई भूमिका नहीं रही थी। साधारण शब्दों में, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि कथित अपराध किए जाने की तारीख पर, वह अभियुक्त कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रभारी नहीं था।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्था सं. 1/कंपनी (एतद्दपश्चात् "शिकायतकर्ता कंपनी" के रूप में संदर्भित) के फाज़िल अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट प्रकथन शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा दायर शिकायतों में स्पष्ट हैं, जिनमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त कंपनी का निदेशक था और उसने एक प्रत्याभूति विलेख निष्पादित किया था जिसके द्वारा उसने व्यक्तिगत देयता का वचन दिया था। यह भी निवेदन किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष

कार्यवाही आरंभिक स्तर पर है और शुरुआत में ही उसे मंसूख नहीं किया जाना चाहिए।

7. मैं ने पक्षकारों के फाज़िल अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री को देखा है।

8. अभिलेखों को देखने से पता चलता है कि पूर्वोक्त चेक के अनादर पर, क्रमशः दिनांक 13.06.2014, 29.04.2014, 17.02.2016 और 21.04.2015 को मांग नोटिस जारी किए गए थे, जिसके बाद अभियुक्त कंपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रही और उपरोक्त फौजदारी शिकायतें क्रमशः 01.08.2014, 31.05.2014, 02.04.2016 और 28.05.2015 को दर्ज की गईं।

9. इसके अलावा, उपरोक्त आपराधिक शिकायतों को पढ़ने से पता चलता है कि यह आरोप लगाया गया था कि जबकि प्रत्यर्थी सं. 3 अभियुक्त कंपनी का प्रबंध निदेशक था, याचिकाकर्ता उसके बोर्ड में एक निदेशक था और वह प्रत्यर्थी सं. 3 के साथ अभियुक्त कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और उसके दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय, परिचालन और वित्तीय मामलों के प्रबंधन का हिस्सा था। यह भी आरोप लगाया गया था कि चेक आमतौर पर अभियुक्त कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3 और याचिकाकर्ता की ओर से उनके पूर्ण ज्ञान के साथ जारी किए जाते थे। जहाँ तक वर्तमान याचिकाकर्ता का संबंध है, उपरोक्त आरोपों के अलावा, यह भी दावा किया गया था कि उसने, प्रत्यर्थी सं. 3 के साथ, अभियुक्त कंपनी द्वारा संबंधित राशि के पुनर्भुगतान की प्रत्याभूति दी थी, जिसके संबंध में

प्रश्नगत चेक जारी किए गए थे, और प्रत्याभूति विलेखों को निष्पादित किया था जिससे व्यक्तिगत दायित्व लिया गया था। उसी समय, यह भी प्रकथन किया गया था कि यह प्रत्यर्थी सं. 3 था जिसने शिकायतकर्ता कंपनी को वचन दिया था कि चेक प्रस्तुति पर विधिवत सम्मानित किया जाएगा। विशेष रूप से, यह शिकायतकर्ता कंपनी का मामला नहीं था कि विचाराधीन चेक पोस्ट-डेटेड चेक थे।

10. वर्तमान मामले में शामिल संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्नगत चेक जारी करने से पहले प्रत्याभूति विलेखों का निष्पादन उसे प.लि. अधिनियम की धारा 138 सह-पठित धारा 141 के तहत अपराध के लिए प्रतिनिधि रूप में उत्तरदायी बनाएगा जबकि उसने अभियुक्त कंपनी को उन्हें जारी करने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था।

11. यह अब अनिर्णीत विषय नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प.लि. अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रतिनिधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए, अभियुक्त व्यक्ति को अपराध किए जाते समय अभियुक्त कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। एक व्यक्ति को जो, उस समय जब अपराध किया गया था, अभियुक्त कंपनी के मामलों या उसके व्यवसाय के संचालन का निदेशक तथा/अथवा प्रभारी नहीं था, प्रतिनिधिक रूप में दायी नहीं ठहराया जा सकता है।

12. प.लि. अधिनियम की धारा 141 के तहत किसी कंपनी के निदेशक को प्रतिनिधिक रूप में दायी बनाने के लिए, शिकायत में उसके खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए जाने चाहिए।(2010) 3 एससीसी 330 के रूप में प्रतिवेदित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटाल एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर कानून को निम्नानुसार उजागर किया है:-

“13. प्रतिनिधिक दायित्व सर्जन करने वाली धारा 141 एक दंडात्मक प्रावधान है, और जिसका, तय कानून के अनुसार, अर्थान्यवन कड़ाई से किया जाना चाहिए।इसलिए, किसी शिकायत में उसके बिना किसी और भूमिका को उल्लिखित किए निदेशक (अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत) को केवल निदेशक होने के कारण कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार और प्रभारी होने से संबंधित कोई सादा सरसरी बयान देना पर्याप्त नहीं है।बल्कि शिकायत में यह बताई जानी चाहिए कि प्रत्यर्थी सं.1 अभियुक्त कंपनी का कैसे और किस तरीके से उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।यह दंडात्मक विधियों की सख्त व्याख्या के अनुरूप है, विशेष रूप से, जहां इस तरह के कानून प्रतिनिधिक दायित्व सर्जित करते हैं।

14. एक कंपनी के कई निदेशक हो सकते हैं और किसी या सभी निदेशकों को किसी शिकायत में अभियुक्त बनाने के लिए बिना कुछ और के केवल एक बयान के आधार पर कि वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं धारा 141 की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं।”

13. शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से किए गए प्रतिविरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्याभूति विलेखों के माध्यम से व्यक्तिगत देयता दी गई

थी, (2014)16 एससीसी 1 के रूप में प्रतिवेदित पूजा रविंदर देवीदासानी बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करना समीचीन समझा जाता है, जहां एक समान तथ्य स्थिति में, यह निर्धारित किया गया था कि किसी पूर्व निदेशक द्वारा प्रत्याभूति विलेख/प्रत्याभूति पत्र का निष्पादन, जो प्रश्नगत चेक जारी करने से पहले कार्यालय छोड़ दिया हो, दीवानी देयता को आकर्षित कर सकता है लेकिन प.लि. अधिनियम की धारा 138 के तहत (किसी देयता को आकर्षित) नहीं कर सकता।

14. उक्त विनिश्चय के अवलोकन से और यह विचार करते हुए कि प.लि. अधिनियम की धारा 141 एक धारणा उपबंध है, जिसके तहत, 'उस समय जब अपराध किया गया था', देयता को उन निदेशकों की ज़िम्मेदारी ठहराया जाता है जो अभियुक्त कंपनी के मामलों के प्रभारी और ज़िम्मेदार थे, यह समझ में आता है कि आक्षेपित लेनदेन के हिस्से के रूप में किसी प्रत्याभूति विलेख के निष्पादित किए जाने की परवाह किए बिना, कोई भी फौजदारी देयता अभियुक्त कंपनी के इस तरह के विलेख को निष्पादित करने वाले निदेशक की ज़िम्मेदारी नहीं होगी, यदि उसने प्रश्नगत चेक जारी करने से पहले वहां से इस्तीफा दे दिया था। पूजा रविंदर देवीदासानी (पूर्वोक्त) से प्रासंगिक अंश निम्न में उद्धृत किया जाता है:-

“28.... अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि व्यापार वित्त सुविधा प्रत्यर्थी 2 द्वारा व्यतिक्रमी कंपनी को 13-4-2008 से 14-10-2008 की अवधि के दौरान दी गई थी जिसके लिए कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए थे जो अनादर किए गए। इससे बहुत पहले दिनांक 17-12-2005 को अपीलकर्ता निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प.लि. अधिनियम की धारा 138 सह-पठित धारा 141 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही जारी रखना क़ानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे दहलीज़ पर ही रोकना होगा।

29. जहां तक प्रत्याभूति पत्र का सवाल है, यह एक दीवानी देयता का रास्ता देता है जिसकी उपाय प्रत्यर्थी 2 शिकायतकर्ता हमेशा उचित अदालत के समक्ष ढूंढ सकता है। अतः, यह प्रतिविरोध कि प्रश्नगत चेक ऐसे प्रत्याभूति पत्र के आधार पर जारी किए गए थे और इसलिए अपीलकर्ता प.लि. अधिनियम की धारा 138 सह-पठित धारा 141 के तहत उत्तरदायी है, इन कार्यवाहियों में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”

(ज़ोर दिया गया)

15. 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 915 के रूप में प्रतिवेदित आशुतोष अशोक पराश्रमपुरिया एवं अन्य बनाम घरकुल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में किए गए विनिश्चय को संदर्भित करना भी उपयुक्त है जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिन परिस्थितियों में प.लि. अधिनियम

की धारा 138/141 के तहत कोई मामला इस न्यायालय द्वारा मंसूख किया जा सकता है, निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था:-

“23. एसएमएस फार्माक्युटीकल्स लिमिटेड (उपरोक्त) और बाद के निर्णयों के संदर्भित विनिश्चय आधार के प्रकाश में जिस पर ध्यान दिया जाना है वह यह है कि क्या शिकायत में, यह दावा करने के अलावा कि अपीलकर्तागण कंपनी के निदेशक हैं और वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार हैं और यदि प.लि. अधिनियम की धारा 141 का वैधानिक अनुपालन किया गया है, तो यह उच्च न्यायालय के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं हो सकता है जब तक कि यह कुछ अअधिक्षेपनीय, असंगत सबूत नहीं आता है जो शक, संदेह से परे हों या पूरी तरह से स्वीकार्य परिस्थितियां हों जो स्पष्ट रूप से इंगित कर सकते हों कि निदेशक चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकता है और उसे विचारण में खड़ा रहने के लिए कहना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। बुनियादी प्रकथन की उपस्थिति के बावजूद, यह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि विशेष निदेशक के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं।”

(ज़ोर दिया गया)

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त उद्धृत न्यायिक इत्रोक्ति के विनिश्चय आधार को लागू करते हुए, यह अभिलेख पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रश्नगत चेक जारी करने से पहले अभियुक्त कंपनी के निदेशक के पद से हट गया था और इस प्रकार, उसे प.लि.

अधिनियम की धारा 138/141 के तहत दंडनीय अपराध के प्रतिनिधिक दायित्व के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रतिविरोध का समर्थन करने के लिए कि वह प्रासंगिक समय में अभियुक्त कंपनी का निदेशक नहीं था, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्टर डेटा और फॉर्म डीआईआर-12 पर याचिकाकर्ता की ओर से निर्भरता दिखाई गई है जिस सामग्री को बहस के दौरान शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से विवादित नहीं ठहराया गया।

17. याचिकाकर्ता ने 17.05.2011 और 18.06.2013 के व्यक्तिगत प्रत्याभूति विलेखों को निष्पादित किया था। जैसा कि उपर्युक्त निर्भर दस्तावेजों से संकेत मिलता है, वह 28.02.2014 से निदेशक के रूप में अभियुक्त कंपनी से अपना संबंध तोड़ लिया जबकि प्रश्नगत चेक उसके बाद ही अर्थात् 30.03.2014 से 31.01.2016 के बीच जारी किए गए थे। स्वीकार्य रूप से, चेक पर प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने शिकायतों में किए गए प्रकथन के अनुसार, अकेले यह वचन दिया कि प्रस्तुति पर उन्हें विधिवत सम्मानित किया जाएगा। इस तरह के वचन/आश्वासन के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया था। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता द्वारा पहले के समय में प्रत्याभूति विलेखों का निष्पादन प.लि. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत प्रतिनिधिक दायित्व को आकर्षित नहीं करेगा। इसके अलावा, यह इंगित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है

कि याचिकाकर्ता प.लि. अधिनियम की धारा 138/141 के तहत अपराध होने के समय अभियुक्त कंपनी के मामलों के संचालन का प्रभारी और जिम्मेदार था। पूर्वोक्त के अलावा, इस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है कि प्रश्नगत चेक के अलावा, अन्य दस्तावेज़ात, जिनमें 16.05. 2011 और 08.3. 2013 का फैक्ट्रिंग ऑफ़ रिसीवबल के लिए पूरक करारनामा, दिनांक 16.05. 2011 को शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा अभियुक्त कंपनी को जारी किए गए अनुमोदन पत्र की प्रति जिसे नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पावती के रूप में वापस भेजा जाना था, दिनांक 16.05.2011 का वचन पत्र, 08.03. 2013 का हाइपोथिकेशन विलेख और शिकायतकर्ता कंपनी और अभियुक्त कंपनी के बीच निष्पादित दिनांक 08.03.2013 के फ्यूचर फैक्टरेबल रिसीवबल के लिए अग्रिम करारनामा शामिल हैं, प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा हस्ताक्षरित थे क्योंकि वही अभियुक्त कंपनी का प्रबंधन निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरी था।

18. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर रखी गई निर्विवाद सामग्री को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ समन आदेश मंसूख किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, याचिकाएं मंजूर की जाती हैं और सम्मन आदेश मंसूख किए जाते हैं।

19. उपरोक्त शर्तों में, लंबित अर्जियों सहित याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

(न्या. मनोज कुमार ओहरी)

21 दिसंबर, 2021

एनए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।